न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर

निगरानी कोलो./1027/03/गंगानगर

शंकरलाल पुत्र सहीराम(फौत) के कायम मुकाम :–

1. आशाराम पुत्र शंकरलाल

2. इंदराज पुत्र शंकरलाल

जाति बिश्नोई निवासी डबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर

–प्रार्थीगण

बनाम

1–राजाराम पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई निवासी डबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (नाम तर्क)

2–राजस्थान सरकार ––अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित–
श्री अभिषेक छाबडा अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थी संख्या–1 का नाम तर्क
श्री प्रदीप विश्नोई अधिवक्ता अप्रार्थी
श्री वी0पी0सिंह राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांक7.03.19**

प्रार्थी द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत नियम 10(2) राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि के आवंटन एवं विक्रय) नियम 1956 के तहत न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत अपील संख्या 217/02 शीर्षक शंकरलाल बनाम सरकार में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 11–2–2003 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

2— निगरानी के संक्षिप्त तथ्यानुसार तहसील रायसिंहनगर के चक 5 एनपी के पत्थर संख्या 114 / 74 की 25 बीघा भूमि प्रार्थी के पास वर्ष 1955 से अस्थाई काश्त टीसी पर थी। प्रार्थी ने उपरोक्त वर्णित भूमि के स्थाई आवंटन हेतु प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि के आवंटन एवं विक्रय) नियम 1956 के तहत तहसीलदार रायसिंह नगर को दिनांक 1.11.72 को पेश किया। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर ने जिला कलेक्टर गंगानगर को इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि प्रार्थी शंकरलाल के पास 21.02 बीघा नहरी भूमि है। तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधीश , श्रीगंगानगर ने जरिये पत्रावली संख्या 3336 / 72 से अपने आदेश दिनांक 23—12—72 द्वारा 8.00 बीघा बारानी भूमि का स्थाई आवंटन प्रार्थी को नियम 1956 के नियम 6—ए के तहत किया गया। प्रार्थी द्वारा समस्त आवंटन की राशि जमा करवा दी गयी व प्रार्थी विवादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक हो गया और खातेदारी सनद संख्या 26147 दिनांक 1—8—85 को जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर द्वारा जारी की गयी।

3— अप्रार्थी संख्या दो ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना संख्या 1 / 2000 अन्तर्गत धारा 11 / 14 पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी ने आवंटन तथ्यों को छुपा कर विवादित आराजी का आवंटन करवाया है इसलिये विवादग्रस्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर ने अपने आदेश दिनांक 2—9—02 द्वारा निगरानीकार के पक्ष में विवादित आराजी का आवंटन निरस्त कर दिया। जिसके विरुद्ध प्रथम अपील संख्या 217 / 02 शीर्षक शंकरलाल बनाम सरकार राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश की गयी। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11—2—03 द्वारा अपील को खारिज कर दिया। उक्त दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के विरुद्ध हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

4— प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थी संख्या—1 राजाराम एक शिकायतकर्ता था। जिसकी मृत्यु हो चुकी है। निगरानी में केवल राज्य सरकार का हित निहित है। निगरानी में राज्य

सरकार पक्षकार है। इसलिये अप्रार्थी संख्या–1 राजाराम का नाम तर्क कर दिया जावे। निगरानी में राज्य सरकार अप्रार्थी संख्या–2 है। निगरानी में राज्य सरकार का हित निहित है। इसलिये अप्रार्थी संख्या–1 का नाम तर्क किया जाता है।

5– विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्ष की निगरानी पर अन्तिम बहस सुनी गई।

6– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया और निवेदन किया कि दोनो अीनस्थ न्यायालयों के निगरानीधीन आदेश विधि विरुद्ध, विधिक प्रक्रिया की अवहेलना में, रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के खिलाफ तथा बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये पारित किये गये है। इसलिये दोनो अधिनस्थ न्यायालयों के निगरानीधीन निर्णयों को निरस्त किया जावे। उनका यह भी तर्क है कि दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश क्षेत्राधिकार विहीन है दोनो ही अधीनस्थ न्यायालय अपने में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में पूर्णतया असफल रहे है। उनका यह भी तर्क है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत कलेक्टर की शक्तियॉ प्रदत्त नही है, जिससे अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर धारा 11 / 14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के प्रार्थना पत्र को सुनने में सक्षम नही है। यह महत्वपूर्ण बिन्दु विद्वान अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन के समक्ष अर्जित किया गया था परन्तु उनके द्वारा उक्त बिन्दु को नजरअन्दाज कर निगराधीन आदेश जो दिनांक 2–9–02 को पारित किया गया है कानून के विरुद्ध है, जिसकी अपील विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष किये जाने पर वे भी अपने में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में पूर्णतया असफल रहे है। विद्वान अपीलीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर ही अपील को स्वीकार कर अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करना चाहिए था। अपने तर्को के समर्थन में आरआरडी 1991 पेज 355 का अवलोकन कराया और निवेदन किया कि उक्त कानूनीन नजीर में अति. कलेक्टर प्रशासन को राजस्थान उप निवेशन अधिनियम के तहत कलेक्टर की शक्तियॉ प्रदत्त नही है, इसलिए विद्वान अतिरिकत कलेक्टर प्रशासन

श्रीगंगानगर धारा 11 / 14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत कोई आदेश देने में अधिकृत नही है। उनका यह भी तर्क है कि आवंटी द्वारा आवंटन सम्बन्धी ऐसा कोई तथ्य नही छिपाया है, जिससे आवंटन आदेश पर विपरीत प्रभाव पडता हो। चूँकि 15 बीघा भूमि से कम धारण करने वाले व्यक्ति भूमि हीन है तथा व नियम चार के तहत 25 बीघा नहरी अथवा 50 बीघा बारानी भूमि आवंटन करवा सकता है। जबकि प्रार्थी शंकरलाल को 8. 00 बीघा बारानी भूमि ही आवंटित की गयी है। स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा ऐसे किसी भी आवंटी सम्बन्धी तथ्य को नही छिपाया गया है। उनका आगे तर्क है कि वरवक्त आवंटन प्रार्थी के धारण में 21.02 बीघा नहरी भूमि थी। प्रार्थी 8 बीघा बारानी भूामि आवंटन करवाने का अधिकारी था व प्रार्थी को विवादग्रस्त 8 बीघा बारानी भूमि का ही आवंटन किया गया है। जो भूमि आवंटन से पूर्व से प्रार्थी के खाते में दर्ज थी वह भूमि प्रार्थी को अपने दादा से प्राप्त हुई थी इसलिए प्रार्थी के चार लडकों को इसमें नोशनल शेयर था यह महत्वपूर्ण बिन्दु विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष अर्जित किया गया था परन्तु इसे नजरअन्दाज कर निर्णय पारित य कर दिया गया । इसलिए दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है और यह भी तर्क दिया कि नियम 6–ए के तहत अस्थाई काश्त की भूमि का स्थाई आवंटन करने का प्रावधान है। नियम 6 ए के तहत आवंटन में पूर्व में धारित भूमि को अंकित करना आवश्यक नही है। स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र में पूर्व किसी भी तथ्य को छुपाया नही है। ऐसी स्थिति में विद्वान दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश मात्र कयास के आधार पर है, जिन्हे किसी भी स्थिति में यथावत नही रखा जा सकता है। अन्त में निगरानी स्वीकार कर दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त करने का निवेदन किया।

7– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगरानीधीन आदेश विधि सम्मत है जिनमें कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नही है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो निगरानीधीन निर्णयय पारित किये है, उनमें प्रार्थी द्वारा लिये गये सभी

आक्षेपों को निर्णित किया गया है जिससे इनमें कोई कानूनी त्रुटि नही है। अतः निगरानी खारिज फरमायी जावें।

8— विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया साथ ही प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत कानूनी नजीरों का गहनता से अध्ययन किया गया।

9— विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह उठाया है कि धारा 11—14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 2(1) में कलेक्टर की परिभाषा दी गई है। जिसके अनुसार अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर को धारा 11—14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत कलेक्टर की शक्तियां प्रदत्त नहीं है। इसलिये अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2—9—02 क्षेत्राधिकार विहिन निर्णय है। इसके अतिरिक्त विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने यह तर्क भी दिया कि नियम 1956 के तहत आवंटन दो श्रेणी के व्यक्तियों भूमिहीन कृषक तथा अस्थाई कृषि पट्टा धारक को किया जाता है। राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 16—7—70 के द्वारा नियम 1956 में नियम 6 ए प्रतिस्थापित कर प्रावधान किया कि अस्थाई कृषि पट्टा धारक को 25 बीघा सिंचित अथवा 50 बीधा असिंचित भूमि का आंवटन किया जा सकता है। चक 5 एन.पी.के मुरब्बा नंबर 114 / 74 के किला नंबर 1 ता 25 कुल 25 बीधा भूमि असिंचित भूमि आवंटी शंकरलाल की अस्थाई कृषि पट्टा की भूमि थी। नियम 6 ए स्थापित होने के बाद शंकरलाल ने नियम 6 ए के तहत अस्थाई कृषि पट्टा की भूमि के स्थाई आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार रायसिंहनगर के समक्ष दिनांक 1—11—72 को प्रस्तुत किया। आवंटी के विरूद्ध यह आरोप है कि उनके द्वारा तथ्यों को छूपाकर आवंटन कराया गया है। तहसील रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि आवंटी शंकरलाल के पास बरवक्त आवंटन पूर्व के धारण की 21.02 बीधा नहरी भूमि है। नियम 6 ए अधिनियम 1956 के तहत आवंटी को अपनी धारण की भूमि का अंकन विवेचन अपने प्रार्थना पत्र में करने की आवश्यकता नहीं है।

> Rule 6 of rule 1956. Allotment -(1) On application for fresh allotment, the collector shall consider such

application on its own merits and shall. if satisfied that the applicant is eligible for allotment of land in accordance with these rules allot the land applied for or any other suitable land if available. On payment of price fixed under Rule 7 and grant the applicant Khatedari rights therein.

Rule 6 A of rule 1956. (1) Notwithstanding anything contained in Rules 3, 4, 5 and 6 and without prejudice to any proceedings pending there under, land up to 25 Bighas of irrigated land or 50 Bighas of unirrigated land my also be allotted to temporary cultivation lease holders to whom land had been alloted under Temporary Cultivation Leases Conditions, 1955 and who are in continuous cultivatory possession thereof begining from 1953 to 1960.

इसके अतिरिक्त नियम 6 ए अधनियम 1956 के तहत अस्थाई कृषि पट्टा की भूमि को आवश्यक रूप से अस्थाई कृषि पट्टा धारक को स्थाई रूप से आवंटन किये जाने का आज्ञात्मक प्रावधान है। इस बिन्दु पर विद्वान अभिभाषक ने 1993 आरआरडी पेज 596 सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

10— स्पष्ट है कि नियम 6 और 6 ए में आवंटन के भिन्न भिन्न प्रावधान है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 9—2—02 के निर्णय में उनकी विवेचन अनुसार यह माना गया कि प्रार्थी शंकरलाल पुत्र सहीराम विश्नोई ने तथ्यों को छूपाकर दिनांक 23—12—72 को 8 बीधा भूमि का आवंटन करवाया है जो धारा 11—14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की अवहेलना होने से काबिले खारिज है। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा भी यह मानते हुये कि तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट अनुसार बरवक्त आवंटन प्रार्थी के पास 21.02 बीधा नहरी भूमि थी जबकि उनके द्वारा

आवंटन प्रार्थना पत्र में मात्र 7.10 बीधा भूमि बताई है तथा अपने जवाब दिनांक 25–1–01 मं 21.08 बीधा भूमि स्वीकार की है तथा इससे तथ्य छूपाकर आवंटन माना गया है। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों के साथ तहसीलदार रायसिंहनगर की आवंटन पत्रावली में तहसीलदार रायसिंहनगर ने प्रार्थी के पास 5 एनपी के मुरब्बा नंबर 114 / 74 के किला नंगर 1 ता 25 की कुल 25 बीधा बारानी भूमि सन् 1955 से 70 तक टीसी आवंटन की पुष्टि भी है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया कि प्रार्थी 8 बीधा रकबा भूमि स्थाई आवंटन का अधिकारी माना गया है। उसके पास 21. 02 बीधा भूमि पहले से ही है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी को आवंटन किया गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर के समक्ष प्रकरण संख्या विविध 1 / 2000 में श्री राजाराम पुत्र सहीराम विश्नोई के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी की पत्रावली में अप्रार्थी द्वारा उसकी भूमि के धारण के सबंध में विस्तृत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। इस शपथ पत्र में अंकित भूमि की घोषणा की गई थी। उसके सबंध में किसी भी प्रकार का कोई विस्तृत विवेचना राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा नहीं की गई और न ही तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्तका विवेचन किया गया, जो उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश मात्र कयास के आधार पर दिये गये है जो यथावत रखे जाने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–9–92 व न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–2–03 निरस्त किये जाकर पुनः प्रकरण निम्न बिन्दुओं पर उभय पक्ष को सुनकर विस्तृत निर्णय हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है :–

1. धारा 11–14 का क्षेत्राधिकार अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को है अथवा नही? यह बिन्दु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने निर्णीत नहीं किया है। अतः सर्वप्रथम उक्त क्षेत्राधिकार के बिन्दु को अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर निर्णित करेंगे कि धारा 11–14 की शक्तियां तत्समय उनके न्यायालय में निहित थी अथवा नहीं?

2. आवंटन अधिकारी ने आवंटन 6 ए नियम 1956 के तहत किया है जबकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय नियम 6 के तहत पारित किये गये है। जिस नियम के तहत आवंटन किया गया है उसी नियम के तहत धारा 11–14 के तहत प्रकरण निर्णित किया जाना चाहिये, अतः इस बिन्दू पर भी पुनः जांच की आवश्यकता है।

3. आवंटन पत्रावली पर मौजूद तहसीलदार की रिपोर्ट व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11–14 में आवंटी के खाते में अंकित प्रस्तुत भूमि में भिन्नता पाई गई है। अतः यह आवश्यक है कि आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय आवंटी की धारण में कितनी भूमि थी, इस बिन्दु पर सुक्ष्म जांच की आवश्यकता है जो तहसीलदार से रिकोर्ड के आधार पर नवीनतम रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णित की जा सकती है।

11– परिणामतः हस्तगत् निगरानी उपरोक्त दिये गये अभिमत अनुसार आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–9–92 व न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–2–03 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उक्त तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत जांच कर उभय पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः निर्णय पारित करें। उभय पक्ष न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 13–5–2019 को प्रकरण में वास्ते अग्रिम कार्यवाहीं उपस्थित होंवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य